


सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत 1.)पार्वती देवी पति-स्व. दुलार गंगू. 2.)चितमैन गंगू पिता- बैचु गंगू एवं 3.)राहुन गंगू पिता- योगेश्वर गंगू ; गांव-आरा , थाना- बालूमाथ, थाना न.- 55 जिला- लातेहार (झारखण्ड) के निवासी के गांव- आरा के खाता संख्या- 105 ; प्लॉट संख्या- 1150, 1160, 1170, 1171, 1358, 1360, 1691, 1740; खाता संख्या- 106 ; प्लॉट संख्या- 445 ; खाता संख्या- 108 ; प्लॉट संख्या-37; गांव-फुलवसिया, थाना न.- 58- खाता संख्या- 129 ; प्लॉट संख्या-1007, 1008, 1010, 1011, 1021, 1022, 1516, 1577, 2118, 2286; कुल क्षेत्रफल: - 6.00 एकड़ (रेयती भूमि 6.00 एकड़) के अधिग्रहण के एवज मे रोजगार का एक प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है।

अगर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा / आपति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाईट http://www.centralcoalfIELDS.in/lnsk/noti_empl_Ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से दस दिनों के अंदर सभी दस्तावेजो एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपति लिखित रूप मे महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व) सी.सी.एल, रॉची एवं क्षेत्रीय महाप्रबंधक (मगध-संघमित्रा क्षेत्र), सी.सी.एल, के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर दस दिनों के अंदर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई आपति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपति नहीं है।



20/03/25